FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम डूंगला

जनता बनाम किशोर लाल

म मुकद्दमा प्रार्थना पत्र नं. 1/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2020	प्रार्थी / ~~प्रार्थी~~ की ओर से वकील श्री विजयसिंह राठौड़ ने इस न्यायालय में एक वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश ~~धारा 212 आर.टी.एक्ट~~ पाठनियम 5 का प्रस्तुत किया गया जिसके समर्थन में नकल जमाबन्दी एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहीर किया की किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा आराजी बाबत कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया हुआ नही है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतित होने से यह न्यायालय आदेश देता है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक..... तक पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा झाड़सादी की आराजी नम्बर 189, 190, 261, 284, 285, 287, 288, 289, 436, 437, 438, 439, 440, 441, व 442 कुल किसा आराजी 15 कुल रकबा 9.0800 हे० भूमि को सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की स्थिति आगामी तक यथावत बनाये रखे। इसमें यदि कोई एतराज हो तो दिनांक 1.4.2020 को 10 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर [illegible] अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय [illegible] पारीत कर दिया जायेगा। इसी आशय का [illegible] जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.4.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डूँगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Purshottam Meena
Date: 2021.02.22 11:49:35 IST
Reason: SelfAttested